अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु तीन शपथ पत्रों का प्रारुप

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रु0 10/– के स्टाम पेपर पर)

समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं..पुत्र/पुत्र श्री..जो ग्राम..मुहल्ला..जनपद...का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:–

1. यह है कि मैं ग्राम..मुहल्ला..तहसील...जिला ....उत्तर प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
2. यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र संलग्न है)
3. यह है कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपया दो लाख या इससे कम है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/ अभिभावक के नियोक्ता द्वार प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)
4. यह है कि सम्प्रति मैं..शैक्षिक संस्थान के ....पाठ्यक्रम में ....वर्ष में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत् हूँ। संस्था चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ(उ0प्र0) से मान्यता प्राप्त है।
5. यह है कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्थाा को संसमय उपलब्ध करा दूँगा।
6. यह है कि मैंने पिछली परीक्षा ....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नही मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
8. यह कि मेरा बचत खाता संख्या..................................बैंक....................................के...शाखा में खुला हुआ है।
9. यह कि यदि प्रतिपूर्ति शुल्क की धनराशि समाज–कल्याण विभाग द्वारा मेरे खाते में आन्तरित की जाती है तो मैं 15 दिन के अन्दर उसे महाविद्यालय में जमा कर दूँगा/दूँगी। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को मुझ पर दंड लगाने व परीक्षा फार्म को विश्वविद्यालय को निर्गत न करने का अधिकार होगा।
10. यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 10 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमार मदद करें।

दिनॉक :

शपथी के हस्ताक्षर...

नाम...

पिता/पति का नाम......................................

पता..

माता–पिता का आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में शपथ पत्र का प्रारुप

शपथ पत्र ओर सेः–

1. यह है कि मैं ....पुत्र/पुत्री ...., निवासी............................. ....छात्र/छात्रा का पिता/माता/संरक्षक/अभिभावक हूँ तथा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ।
2. यह है कि मेरा /मेरी पुत्र/पुत्री /पुत्रवधु आपके संस्थान में कोर्स ....सत्र ....का छात्र/छात्रा है।
3. यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री/पुत्रवधु का आचरण सही है तथा महाविद्यालय में किसी भी नियम का उल्लघंन नहीं करेगा/करेगी। अपने कोर्स की अवधि में वह अपना आचरण सही और कृतज्ञ बनाये रखेगा/रखेगी। यदि किसी प्रकार की वह गलती करता/करती है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारी अर्थात शपथ–कर्ता हस्ताक्षर की होगी।
4. यह है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता /करती हूँ कि हमारी वार्षिक आय सभी स्रोतों से दो लाख शासन द्वारा निर्धारित से अधिक की नहीं है।
5. यह है कि मेरा यह आय प्रमाण पत्र मैंने स्वयं ने जिलाधिकारी या जिलाधिकारी के अधीन जो भी अधिकारी जिलाधिकारी ने इस कार्य हेतु नियुक्त करा है के द्वारा बना है जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सच्चाई या प्रमाणिकता बाधित होती है का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मेरा अर्थात शपथ–पत्र हस्ताक्षर कर्ता का होगा।
6. यह है कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरी पुत्रवधु की शुल्क प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा परीक्षा फार्म भरने से पूर्व नहीं आती है तो महाविद्यालय को यह राशि परीक्षा फार्म भरने से पूर्व उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व मेरा अर्थात शपथ–पत्र हस्ताक्षर कर्ता का होगा।

यह है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की धारा 1 ता 6 का कथन मेरे निजी ज्ञान में सब सत्य है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईष्वर मेरी मदद करें।

स्थानः– हस्ताक्षर

दिनांक–

(शपथकर्ता)

परिशिष्ट–"ख"

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबन्ध पत्र

(कक्षा 11 व 12 हेतु रू0–10/– एवं उच्चतर पाठ्यकमों हेतु रू0–100/– के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक........................ को (1) कु0/श्रीमती/श्री.. जाति............................निवासी ग्राम/मु0.......................................डाकखाना...................................... तहसील...........................जिला.............................. जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2)...(संस्थाध्यक्ष) पता... .... जनपद..(जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें आदि उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना (तृतीय संशोधन) नियमावली 2014 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनो पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं:–

1– द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपने शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 के अनुपालन में देगा।

2– प्रथम पक्ष, सन्दर्भित संस्था में निःशुल्क प्रवेश पाने पर, निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त वांछित अभिलेखों सहित, संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3– द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4– प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अन्दर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5– प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन करेगा।

6– प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7– उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2014 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्ष/ संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्षः

हस्ताक्षर.............
नाम.......................
पिता/पति का नाम.............
पता...............................

द्वितीय पक्षः

हस्ताक्षर...........................
नाम व पदनाम.......................
पिता/पति का नाम..................
पता..................................

साक्षी सं0–1

हस्ताक्षर.........................
नाम..............................
पिता/पति का नाम.........................
पता..................................

साक्षी सं0–2

हस्ताक्षर..............................
नाम व पदनाम......................................
पिता/पति का नाम....................................
पता.......................................